

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
पत्रांक: /स्था०-१३(अ०क०पदो०)/ २००१-०२
दिनांक: देहरादून: १५ जुलाई, २०१७

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-२ के कार्यालय ज्ञाप संख्या ९०/XXX(2)16-30(51) 2015 दिनांक २६-०७-२०१६ एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या: २७४९ / ढॉचा(अ०एवं सं०) / २००८ दिनांक: २५ मार्च, २०१७ तथा उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना प्रकीर्ण संख्या १५३/XXX(2)/2016-3(02)2010 दिनांक: ०९-०४-२०१५ एवं अधिसूचना प्रकीर्ण संख्या ३४८/XXX(2)/2015-3(02)का०-२/2010 दिनांक: २२-१२-२०१६ में निहित प्राविधानों के अनुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित स्थायी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वेतन लेवल-१० ₹ १५६००-३९१०० के सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ ५४००/-में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए स्तम्भ-४ में अंकित केन्द्र पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम सुश्री/श्री	कार्यालय का नाम जहाँ कार्मिक कार्यरत है	पदोन्नति उपरान्त तैनाती का केन्द्र	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१	सी०एल० ध्यानी	निदेशालय, देहरादून	निदेशालय, देहरादून	सृजित/रिक्त पद के सापेक्ष
२	भुवन चन्द्र काण्डपाल	निदेशालय, देहरादून	निदेशालय, देहरादून	—तदैव—
३	दीवान सिंह बिष्ट	बीस सूत्री कार्यक्रम, देहरादून।	कार्यालय, उप निदेशक, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी।	—तदैव—


२- सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक दशा में पदोन्नति के पद पर आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं।

ह०/-
(सुशील कुमार)
निदेशक

पत्रांक ९०७ /स्था०-१३(अ०क०पदो०)/ २००१-०२ दिनांकित:

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- अपर सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- २- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ३- निदेशालय के समस्त अधिकारी सिंयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम, देहरादून।
- ४- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- ५- वेब इन्फॉरमेशन लीडर/उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय।
- ६- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
- ७- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
- ८- समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ९- अर्थ एवं संख्याधिकारी(आहरण वितरण), निदेशालय, देहरादून।
- १०- सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
- ११- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली।
- १२- निदेशक, मुफ्त संलेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़वी।


निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।